न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 46/2021 ई.रे. दिनांक 16.09.2025

1— श्री मगना पुत्र चन्दा जी जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
2— श्रीमती भुरीबाई पत्नी वरदीचन्द जाट निवासी उठेल तहसील बडीसादडी

प्रार्थीगण

बनाम

1— हीरालाल पिता कैला मेघवाल निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
2— हजारी पिता उदा मेघवाल निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
3— सुरेश पिता मोहन मेघवाल निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
4— प्यारा पिता मांगु मेघवाल निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
5— जीतमल पिता नारायण मेघवाल निवासी उठेल तहसील बडीसादडी
6— भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री जी.एस. झाला वकील प्रार्थी
श्री डी.के. वैष्णव वकील विपक्षीगण नं. 1 से 5

—:: आदेश::—

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. प्रार्थीगण ने एक वादपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध ठोस तथ्यो पर न्यायालय आप में प्रस्तुत कर रखा है जो निश्चित ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु जिसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।
2. प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेयाबी की आराजीयात मौजा उठेल पटवार हल्का पिण्ड तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 163 की आराजी संख्या 640 रकबा 0.4900 हैक्टेयर लगानी 16.17 पैसा स्थित होकर उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जेयाबी की होकर वह उस पर काबिज होकर आराजीयात का उपयोग उपभोग शान्ति पूर्वक करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात से लगती हुई प्रार्थीगण की अन्य आराजीयात भी स्थित है। जिनके नम्बर 641, 642 हैं जो चाह नम्बर होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी पर चाह नम्बर पर 640 से आता जाता है।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात के पास ही विपक्षीगण हीरालाल व अन्य ने नाजायाज तरिके से अवैध अतिकमण [illegible] वे जबरन प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 640 में से होकर जाना चाहते हैं जिसके लिए [illegible] जबरन वहां रास्ता निकालना चाहते हैं जबकि न तो उक्त मकान का उनके पास कोई वैध [illegible] है तथा ना ही उनका प्रार्थीगण की आराजी में से कोई रास्ता हैं पर वे जबरन प्रार्थीगण [illegible] रास्ता बना निकलने [illegible] अमादा हैं तथा अभी भी विपक्षीगण के द्वारा खडी फसल को नुक[illegible] पहुचाकर रास्ता कायम [illegible] का प्रयास

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

किया तथा मना करने एससी एस टी एक्ट में फसाने तथा जमानत नही होने देने की धमकिया दी गयी है।

4. विपक्षीगण का उक्त आराजीयात 640 से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। फिर भी वर्तमान में सरपंच होने को नाजायत फायदा उठाकर विपक्षी जबरन प्रार्थीगण के कब्जेयाबी की आराजी में रास्ता कायम करने तथा वहां ग्रवेल डालने पर आमादा है जबकि न रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज है ना ही मोके पर कोई रास्ता है पर विपक्षीगण जबरन लठ के बल पर व मुकदमे में फसाने का डर बताकर वहा रास्ता कायम करने पर अमादा है। जिनका उनको कोई अधिकार नही होकर प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। तथा जहां वे अवैध तरिके से कब्जा कर रास्ता निकालने पर आमादा है वह भूमि अतिक्रमण न करे इसके लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

5. विपक्षीगण ने एक गिरोह बना रखा है तथा डर दिखाकर व प्रार्थीया भुरीबाई का महीला होने तथा प्रार्थी मगना के बुजुर्ग होने का नाजायत फायदा उठाकर जबरन प्रार्थीगण की आराजी में अनधिकृत प्रवेश कर वहां खडी फसल को नष्ट करने पर अमादा होकर रास्ता बनाने पर अमादा है तथा प्रार्थीगण के शान्तिपुर्वक कब्जे में दखल अन्दाजी करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका उनको कोई हक व अधिकार नही हैं तथा प्रार्थीगण विपक्षीगण कंमाक एक लगायत चार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

6. प्रार्थीगण सिधे व्यक्ति होकर विपक्षीगण गिरोह बनाकर लठ के बल पर प्रार्थीगण के कब्जेयाबी की आराजी में दखल अन्दाजी कर फसल को नुकसान पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा हैं इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

7. प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया मामला होकर सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायाचित है अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी वह अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेगा तथा बिना कारण ही मुकदमें बाजी बढेगी जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिती में सम्भंव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द फरमाया जावे की वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे। तथा आराजी नम्बर 640 में किसी प्रकार का रास्ता कायम करने का प्रयास न करे न करावे।

जवाब में विपक्षीगण के वकील ने निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये।

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व वाद मनगढन्त तथ्यों पर आराधित होने से निश्चित ही खारिज होगा।

2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है बकाया तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी व मौजा उठेंल की आबादी पास पास है तथा प्रार्थी की आरा[illegible] ही विपक्षीगणों के घरो में जाने हेतु कच्चा रास्ता है जिससे होकर विपक्षीगण अपने पूर्वज[illegible] अपने घरों में जाने हेतु उक्त कच्चे रास्तें का कदीमी से उपयोंग उपभोग [illegible] है तथा प्रार्थी [illegible] अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये थोहर की बाड कर रखी है व पाली पर बड़े बड़े वृक्ष खड़े है उसके बाद रास्ता है जिससे होकर विपक्षीगण व अन्य व्यक्ति अपने घरों मे आते जाते है जो कदीमी से [illegible]ुद है। हाल ही में ग्राम पचांयत पीण्ड के द्वारा उक्त कच्चे रास्तें को पक्का बनाने हेतु प्रस्ताव लिया गया व ग्राम पंचायत पीण्ड द्वारा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्माण सामाग्री डाल दी व गिटटी भी उक्त रास्तें में बीछा दी जैसे ही सी.सी रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया तो प्रार्थी ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिससे पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रूकवा दिया है जबकि विपक्षीगण ने प्रार्थी की आराजी पर रास्ता निकालने की कभी धमकियां नही दी ग्रम पचांयत पीण्ड के द्वारा ग्रम उठेंल में प्रार्थी की जमीन के पास कच्चे रास्ते को पक्का बनाया जा रहा है विपक्षी संख्या 2 सरपंच पती है तथा अन्य विपक्षी उक्त रास्ते से अपने घरों में जाते है इसलिये उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है विपक्षीगण में से कोई संरपच नहीं है ग्रम पंचायत पीण्ड के द्वारा प्रस्ताव लेकर विधीवत रास्ते का पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यदि प्रार्थी को उक्त रास्ते के निर्माण से कोई आपत्ति है तो ग्रम पंचायत को पक्षकार बनाया जाकर वाद प्रस्तुत करना था लेकिन प्रार्थी ने विपक्षीगणों को मात्र पेरशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है विपक्षीगणों के द्वारा प्रार्थी की आराजी में जबरन लटठ व ताकत के बल पर रास्ते का निर्माण करने व अवैध तरीके से अतिक्रमण करने का तथ्य भी मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी विपक्षीगणों का जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से स्वीकार नहीं हे विपक्षीगण ने प्रार्थी की आराजी में अनाधीकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी फसल को कभी नष्ट नहीं किया नही जबरन रास्ते का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। बल्कि रास्ते का निर्माण कार्य ग्रम पचांयत पीण्ड के द्वारा करवाया जा रहा है उक्त कलम में प्रार्थी ने मनगढन्त तथ्य अंकित किये है जो स्वीकार नही है इसलिये प्रार्थी विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षीगण ने प्रार्थी की आराजी में कभी दखलअन्दाजी नहीं की न ही फसल को कभी नुकसान पहुचाया असल तथ्य तो वह है कि ग्रम पंचायत के द्वारा सी.सी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था तो प्रार्थी के पुत्रों व अन्य ने विपक्षीगण जीतमल के साथ गाली गलोच की व धमकियों दी तो विपक्षी जीतमल ने प्रार्थी के पुत्रों के विरूद्ध दिनांक 29.7.21 को पुलिस थाना निकुम्भ में रिपोर्ट दी जिस पर गांव के मौतबीरान ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश कराई समझाइश में अन्य विपक्षीगण थे उन्होंने राजीनामें पर हस्ताक्षर भी किये उक्त रंजीश के कारण तथा विपक्षगणों के मकानों पर जाने हेतु रास्तें का पक्का निर्माण कार्य नही हो सके इसलिये विपक्षीगणों के मकानों पर जाने हेतु रास्ते का पक्का निर्माण कार्य नही हो सके इसलिये विपक्षीगणों को परेशान करने विपक्षी द्वारा कराई रिपोर्ट का बदला लेने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पुत्रों ने अपने पिता से उक्त पेश करवाया है जिसे खारीज किया जाना न्यायोंचित है इसलिये प्रार्थी विपक्षीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार नहीं है प्रार्थी का प्रथम दृष्टीया केस प्रमाणीत नहीं है न ही सुवीधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी में कोई अतिक्रमण नहीं किया है इयलिये अपुर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नही है इसलिये प्रार्थी विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified

अतः जवाब पेश [illegible] है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण को मात्र परेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] जो [illegible] हर्जे खर्चे के खारिज किया जावें।

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 13:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में [illegible] अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहा है।

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा उठेल पटवार हल्का पिण्ड की आराजी नं. 640 रकबा 0.4900 तथा आराजी नं. 641, 642 भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे। तथा आराजी नम्बर 640 में किसी प्रकार का रास्ता कायम करने का प्रयास न करे न करावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested